

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	श्रीमती राधा सक्सेना	सेवा निवृत्त प्रधानाचार्या	27-04-1958	11/4/1989	20	10/4/2009	11/4/2009
							Grade pay 6600

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
- 2 उक्त वर्णित कार्मिकों में से किसी का स्थानान्तरण पर पदस्थापन स्थान परिवर्तन हो गया है तो सम्बन्धित नवीन नियन्त्रण अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिन्दु सख्या 01 की कार्यवाही सूनिश्चित करेंगे।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/एसीपी/राधा सक्सेना/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उमरैण अलवर।
- 3 प्रधानाचार्य, राबाउमावि, मालाखेडा पं.स. उमरैण जिला अलवर।
- 4 श्रीमती राधा सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राबाउमावि मालाखेडा पं.स. उमरैण जिला अलवर।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 गार्ड फंजिका

दिनांक : 6/7/2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर